डी0 वी0 एस0एल0एन0 (**BPL** ग्राम सभा पत्रा0) 2023 393-94
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

सेवा में,

1 उप–निदेशक, **(Higher education)** चम्बाघाट, जिला सोलन हि0 प्र0

2 उप–निदेशक, **(Elementary education)** चम्बाघाट, जिला सोलन हि0 प्र0

दिनांक 13-4–2023

विषयः– ग्राम पंचायतों में बी0 पी0 एल0 सूची की समीक्षा बारे।

महोदय,

निदेशक ग्रामीण विकास, हि0 प्र0 शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या एस0 एम0 जे0–120 / 2012–13–बड–आरडीडी–17645–56 दिनांक 25–2–21 अनुसार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा बैठक में एक सक्षम अधिकारी जो लैक्चरर या अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी है पर्यवेक्षक के रूप में ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होगे। पर्यवेक्षक के कर्तव्य व ग्राम सभा बैठकों की सारिणी की प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येंक ग्राम पंचायत में लैक्चरर/ अधीक्षक की ग्राम सभा बैठक हेतू डयूटी लगाने की कृपा करें, ताकि बी0 पी0 एल0 में चयन हेतू पात्र परिवार की सूची सही ढंग से तैयार हो सके।

भवदीय

Rajnu
खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

पृष्ठांकन संख्या 395-434 सोलन दिनांक 13-4-2023

प्रतिलिपिः–1 निदेशक ग्रामीण विकास, हि0 प्र0 शिमला–9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या एस0 एम0 जे0–120 / 2012–13–बड–आर डी डी–17645–56 दिनांक 25–2–21 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

2 उप–मण्डलाधिकारी ना0 सोलन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

3 उप–निदेशक एवम परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकारण सोलन जिला सिरमौर हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ प्रस्तु है।

4 समस्त ग्राम पंचायत सचिव विकास खण्ड सोलन को अनुपालनार्थ हेतू प्रेषित हैं।

Rajnu
खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभाबैठकों की तिथियों के निर्धारण की प्रस्तावना विकास खण्ड सोलन , जिला सोलन |

17 जनवरी 2023 17 अप्रैल 2023 17 जुलाई 2023 02 अक्टूबर 2023	**18 जनवरी 2023 18 अप्रैल 2023 18 जुलाई 2023 02 अक्टूबर 2023**	**19 जनवरी 2023 19 अप्रैल 2023 19 जुलाई 2023 02 अक्टूबर 2023**
1.जाबल जमरोट	1.आंजी	1.नौणी मंझगावं
2.भारती	2.बोहली	2.मशीवर
3.देवठी	3.पडग	3.जाडली
4.सपरुन	4.धरोट	4.चामत भड़ेच
5.अन्हेच	5.ओछघाट	5.रणौं
6.नेरी कलां	6.जोणाजी	6.बड़ोग
7.वसाल	7.हरीपुर	7.काबा कलां
8.सुल्तानपुर	8.शडियाना	8.शामती
9.सेर बनेडा	9.डांगरी	9.सन्होल
10.कोरों कैन्थली	10.चेवा	10.शमरोड़
11.पट्टा बरावरी	11.भोजनगर	11.सेरी
12.ककड हट्टी	12.सलोगडा	
13.तोप की बेड	13.कोठों	

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन,
जिला सोलन (हि०प्र०)

5. पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षक के कर्तव्य :–

i) ग्राम सभा की बैठक में एक सक्षम अधिकारी जो कि प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, लैक्चरर, अधीक्षक आदि हो सकता है को पर्यवेक्षक के रूप में ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति हेतु सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।

ii) ग्राम सभा में किसी व्यक्ति के चयन पर विवाद होने की स्थिति में बहुमत के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। अतः पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि चयन प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी हो।

iii) किसी परिवार को सर्वेक्षण के दौरान दिए गए अंकों से यदि ग्राम सभा सहमत नहीं होती है तो अंकों में परिवर्तन से पहले परिवर्तन के कारण स्पष्ट करने होंगे तथा पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अंकों में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कार्यवाही रजिस्टर में कर लिया गया हो।

iv) पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बहुमत अनुसार ही ग्राम सभा में बी०पी०एल० परिवारों की चयनित सूची की समीक्षा की जाए परन्तु यदि पर्यवेक्षक को यह लगे कि दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए ग्राम सभा में अपात्र परिवारों का चयन किया गया है तो उस स्थिति में पर्यवेक्षक द्वारा इस बारे विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित उप मण्डलाधिकारी (ना०) को भेजी जाएगी जिस पर कि उप मण्डलाधिकारी (ना०) द्वारा जांच पड़ताल करवाई जा सकती है।

v) ग्राम सभा की कार्यवाही सभा स्थल पर ही रखी जाएगी यदि ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही सभा स्थल पर नहीं लिखी जाती अथवा ग्राम सभा के निर्णय के विपरित कार्यवाही में उल्लेख किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी /प्रधान/अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

vi) संशोधित सूचियों की सी०डी० भी निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण विवरण सहित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला ग्रमीण विकास अभिकरणों तथा 2 सप्ताह की अवधि के भीतर निदेशक ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी।